

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2801]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2015/ पौष 7, 1937

No. 2801]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2015/PAUSA 7, 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3522(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2874(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पैरा सं. 3 के अंत में “सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार युक्त” को “सम्पूर्ण तेलंगाना राज्य के क्षेत्राधिकार युक्त” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-IV (भाग-II)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Internal Security-I Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2015

S.O. 3522(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2874(E) dated 16th October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th October, 2015 namely:—

In the said notification the words at the end of para 3 “having jurisdiction through out the State of Andhra Pradesh” shall be substituted by the words “having jurisdiction through out the State of Telangana”.

[F. No. 17011/50/2009-IS. IV (Part-II)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.